यूको बैंक

अंचल कार्यालय : कृष्णा प्लाजा C-2/6, डी-ब्लॉक, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ (उ.प्र.)

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

ऑनलाइन/एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा ईएमडी तथा दस्तावेज जमा करवाने की अन्तिम तिथि व समय 30.08.2017 को सांय 5.00 बजे तक

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण एवं हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (नं. 54/2002) के अन्तर्गत बैंक को प्रभारित अचल सम्पत्तियों की बिक्री। **चूकिं, यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्र विवरणितानुसार** बैंक की बकाया राशि प्लस ब्याज की वसूली हेतु **"जहाँ है जैसा है" के आधार पर तथा "जैसे है जो है के आधार पर"** सम्पत्ति की बिक्री करने का अधिकार के साथ निम्र ऋण खाते में प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 की वित्तिय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुननिर्माण और प्रवर्तन के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत सूचना जारी करके निम्र सम्पत्तियों पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है और चूंकि इस बकाया राशि का भुगतान न कर पाने के परिणाम स्वरूप, उक्त अधिनियम 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सम्पत्त्रियों की बिकी द्वारा की बकाया राशि को वसूलने का प्रस्ताव किया है। अधोहस्त्प्रक्षरी द्वारा यह बिकी वेबसाईट **https://www.ucobank.auctiontiger.net** पर उपलब्ध करवांए गये ई-नीलामी प्लेटफार्म के जरिये की जायेगी।

चल/अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	शाखा एवं खातेदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति स्वामी का नाम	डिमांड नोटिस /कब्जा नोटिस की तिथि व बकाया राशि	ईएमडी जमा करने का खाता विवरण एवं आरक्षित मूल्य एवं ई0एम0डी0 10%
1.	**हापुड़** ऋणीः श्री मनीष कुमार सैनी और श्री राहुल सैनी दोनों पुत्र श्री सुनील कुमार सैनी निवासी 244, शिव नगर, हापुड़ गारंटीकर्ता : आशू सैनी, अंकित सैनी दोनों पुत्र सुनील कुमार सैनी और लक्ष्मी सैनी पत्नि श्री सुनील कुमार सैनी	संपत्ति नंबर 1ः आवासीय सम्पत्ति के सभी भाग व पार्सल मकान का क्षेत्रफल 209.10 वर्ग मीटर जोकि स्थित मुनिसिपल नंबर 244, शिव नगर, हापुड़।श्री मनीष कुमार सैनी और श्री राहुल सैनी के नाम। सीमाऐः पुर्व : रास्ता 20 फीट, पश्चिम : रामनाथ और संजीव कुमार की सम्पत्ति, उत्तर : कैलाश चंद आदि का मकान, दक्षिण : सुनील और लक्ष्मी सैनी के मकान का शेष हिस्सा	**09.10.2015** **16.06.2017** रु. **2562345/-** + ब्याज व अन्य खर्चे	रु. 3700000/– | रु. 370000/– **A/c no. 22731032220001** A/c Name : Neft Payable Account **UCO BANK** Name of Beneficiary: AUTHORISED OFFICER UCO BANK, **IFSC CODE** : UCBA0002273

ई–नीलामी की दिनांक 31.08.2017 समय प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ)
टेण्डर जमा करने की अन्तिम तिथि 30.08.2017समय सांय 05:00 बजे।

नियम व शर्ते :- 1. ई-नीलामी **"जहाँ है जैसा है" तथा "जैसे है जो है के आधार पर"** की जा रही है। 2. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार किसी भी सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं हैं। हालांकि प्रत्याशित बोलीदाता को अपनी बोली जमा करवाने से पूर्व ऋणभारों, नीलामी की जाने वाली सम्पत्तियों तथा इस सम्पत्ति के संबंध में दावे/अधिकार/बकाया के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जांच करवा लें। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधित्व को गाठित नही करेगा और गाठित करने के लिए माना नहीं जायेगा। यह सम्पत्ति बैंक को ज्ञात अथवा अज्ञात सभी मौजूदा तथा भविष्यगत ऋणभारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता किसी भी तीसरी पार्टी के दावे/अधिकार/डयूज के लिए किसी भी तरह से जिम्मेवार नही होगा। 3. बोली जमा करवाने से पूर्व सम्पत्ति व विनिर्देशन के बारे में स्वयं को सतुंष्ट करने तथा निरीक्षण करने की जिम्मेवारी बोलीदारों की होगी। नीलामी में रखी जाने वाली सम्पत्तियों के निरीक्षण करने की अनुमति प्रकाशन की तिथि से दस्तावेज व ईएमडी जमा करवाने की अन्तिम तिथि तक कार्य दिवसों के दौरान **पूर्वा 11.00 बजे से 4.00 बजे तक** स्थल पर ही इच्छुक बोलीदारों को दी जाएगी। 4. इच्छुक निविदाकर्ता वेब पोर्टल **https://ucobank.auctiontiger.net** के माध्यम से अपना ई0एमडी0 जमा करेगे, यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड **https://ucobank.auctiontiger.net** पर लॉगिंग कर के निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता हैं। **EMD** का भुगतान **NEFT/RTGS** द्वारा उपरोक्त खाता संख्या में होगा। कृपया ध्यान दें चैक/डिमांड ड्राफ्ट ईएमडी राशि के तौर पर स्वीकार्य नहीं होगें। 5. वेबपोर्टल में बोलीदारों रजिस्ट्रेशन के बाद प्रत्याशित बोलीदार/खरीददाता को बोली जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व वेब पोर्टल पर अपलोड किये गये निम्र दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना अनिवार्य है। 1.) अर्थात एन.ई.एफ.टी/आर.टी.जी. एस. चालान की प्रति। 2.) पैन कार्ड की प्रति। 3.) पहचान प्रमाण (के.वाई.सी.) जैसे वोटर आईडी कार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पासपोर्ट इत्यादि की स्वसत्यापित प्रति। 4.) आवास प्रमाण की प्रति, जिसके बगैर बोली रद्द कर दी जायेगी। **विधिवत भरी हुई तथा हस्ताक्षर करने के बाद परिशिष्ट II व III (निविदा सूचना में निर्दिष्ट) की स्कैन की हुई प्रतियां** वेब पोर्टल **https://ucobank.auctiontiger.net_पर अपलोड करें।** 6. इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगइन आईडी व पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण में सहायता चाहिए वे सम्पर्क करें **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड, A-801, वॉल स्ट्रीट-II, ओरियंट क्लब, निकट गुजरात कॉलिज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006 (गुजरात), फोन नं0ः +91-7940230800** तथा किसी भी सम्पत्ति से संबन्धित प्रश्न के लिए कार्यदिवस के दौरान कार्यालय समय में **प्राधिकृत अधिकारीः श्री आई.सी. त्यागी, मोबाइल नं0 7248482403, फोन नं0ः 0121-2623670,** ई-मेल आईडीः **zo.meerut@ucobank.co.in** पर किसी भी कार्यालय के कार्यदिवस में सम्पर्क करें। 7. केवल वैध यूजर आईडी/पासवर्ड तथा एन.ई.एफटी/आरटीजीएस के जरिये ईएमडी का सुनिश्चित भुगतान करने वाले बोलीदाता ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य होंगे। 8. जिन बोलीदारों ने **30.08.2017** को **सांय 5.00 बजे** पूर्व ऑनलाईन मोड के जरिये आरक्षित मूल्य से कम नहीं, अपनी ईएमडी जमा करवाई है, वे ई-बोली प्रक्रिया में भागेदारी हेतू योग्य होंगे। उपरोक्त सम्पत्ति की ई-नीलामी बोलीदारों के मध्य परस्पर बोली के द्वारा प्रत्येक सम्पत्ति के प्रति निर्दिष्ट निर्धारित तिथि व समय पर संचालित की जायेगी। 9. बोलीदाता प्रत्येक सम्पत्ति के सामने **"बोली वृद्धि राशि"** कॉलम के तहत निर्दिष्ट राशि के गुणक में अपने ऑफर बढ़ायेंगे। यदि बोली ई-नीलामी प्रक्रिया के अन्तिम समय के अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है, तो अंतिम समय स्वयः 5 मिनट (असीमित विस्तार) के लिए बढ़ जाएगा। जो बोलीदाता ई-नीलामी प्रक्रिया के अन्तिम समय में उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करवायेंगे, उन्हें सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा। और इसके लिए सूचना इलैक्ट्रोनिक मोड के जरिये जारी की जायेगी जो कि प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता की स्वीकृति के अधीन होगी। 10. सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) आंशिक बिक्री पर विचार कर रखी जायेगी तथा सफल बोलीदाता की ईएमडी लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज नही होगा। सफल बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटे के भीतर पहले जमा की गई ईएमडी समायोजित पर बिक्री राशि 25**%** राशि जमा करवानी होगी और शेष **75%** बिक्री के 15वें दिन पर या इससे पूर्व अथवा प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर लिखित में सहमत हुई बढ़ाई गई अवधि के भीतर जमा करवानी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान न कर पाने की स्थिति में, प्रस्तावक द्वारा पहले जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः नीलामी के लिए रखा जाएगा और दोषी ऋणकर्ता का सम्पत्ति/राशि के संबधं में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा। 11. प्रत्याशित योग्यता प्राप्त बोलीदाता ई-नीलामी की तिथि से पूर्व **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड,** ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। प्राधिकृत अधिकारी/बैंक अथवा **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड,** किसी भी इंटरनेट नेटवर्क की समस्या के लिए जिम्मेवार नहीं होगे और इच्छुक बोलीदाता सुनिश्चित कर ले कि वे ई-नीलामी में भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से सुसज्जित हैं। 12. खरीददार लागू स्टांप डयूटी/अतिरिक्त स्टांप डयूटी/हस्तांतरण प्रभार फीस इत्यादि को वहन करेगा और वह सभी और वह सभी संवैधानिक/गैर संवैधानिक देयों, करों, दरों मूल्यांकन प्रभार, और किसी की भी फीस इत्यादि को वहन करेगा। 13. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसके पास बिना कोई कारण बतालाए ई-नीलामी के स्थगन/विलंबन/निरस्तीकरण या किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकृत या निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार है। 14. बोलीदाता को अपनी बोलियां जमा करवाने से पूर्व तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व **मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड,** की वेब पोर्टल : **https://ucobank.auctiontiger.net** पर उपलब्ध ई-नीलामी की विस्तृत शर्तों व नियमों को ध्यानपूर्वक देखने की सलाह दी जाती है। 15. प्रकाशन अप्रत्याशित घटना खंड के अधीन है। 16. बोली में अन्तिम समय में बोलीदाता के हित को नजर अंदाज किये जाने पर न ही यूके बैंक एवं न ही सर्विसदाता किसी चुक/इन्टरनेट के असफल होने/पावर के असफल आदि होने के लिए जिम्मेदार नही होगा हम आकस्मिक स्थिति में बोलीदाता से निवेदन है कि वह आवश्यक व्यवस्थाएं/अन्य विकल्प जैसे की बिजली सप्लाई/बैंकअप आदि का प्रबंध सुनिश्चित कर ले जिससे कि वह इन परिस्थितियों से बच सके एवं सफलतापूर्ण नीलामी में भाग ले सके।

उधारकर्ता/गारण्टीकर्ता/बन्धककर्ता को नियम 8(6) के सिक्युरिटी इन्टरेस्ट (इन्फोर्समेन्ट) नियम 2002 के तहत 30 दिन की बिक्री सूचना

उपरोक्त उधारकर्ता/गारण्टीकर्ता/बन्धककर्ता को नोटिस दी जाती है कि वह ई–नीलामी से पूर्व अपना कुल बकाया ब्याज एवं अन्य खर्चो सहित जमा कर दें। इसमें असफल होने पर उन सम्पत्तियों की नीलामी कर दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि कोई हो तो आपसे ब्याज एवं लागत सहित वसूली की जायेगी।

दिनांक : **31.07.2017** **प्राधिकृत अधिकारी**